



उल्लंघन पत्र / ईमेल द्वारा

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
कार्यालय क्षेत्रीय खान नियंत्रक, जबलपुर

संख्या. - MCDR-MiFLOMn/18/2023-JBP-IBM_RO_JBP
सेवा में,

जबलपुर, दिनांक: 03.08.2023

श्री योगेश कुमार सराफ (मालिक)
मेसर्स आर. बी. श्री राम एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,
श्रीराम भवन, डाकघर - तुमसर,
जिला - भंडारा, महाराष्ट्र - 441912
ईमेल - rbsco@gmail.com

विषय: मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में आपकी चिकमारा मैंगनीज खान (08.16 हेक्टेयर), माइन कोड - 40MPR01026 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

दिनांक 19.07.2023 को इस कार्यालय के सहायक खनन अभियंता, श्री अभिषेक रंजन गौतम द्वारा, श्री सुशील जैन, पट्टाधारी प्रतिनिधि की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एम सी डी आर), 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
नियम 11 (1)	खनन पट्टे के अंतर्गत खनन परिचालन.- (1) खनन पट्टे का कोई भी धारक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित, संशोधित या पुनर्विलोकित या राज्य सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में स्थापित प्रणाली के अनुसार तैयार और अनुमोदित की गई खनन योजना के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में कोई खनन संक्रिया आरंभ या परिचालित नहीं करेगा। उक्त खदान की खनन योजना का पुनर्विलोकन को इस कार्यालय के पत्रांक-MP/BALAGHAT/MANGANESE/RMP-42/2022-23 दिनांक 19.10.2022 द्वारा अनुमोदित की गई, जिसमें वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कार्य करने के प्रस्ताव शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान एम सी डी आर 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है.. 1. अनुमोदित खनन योजना मे वर्ष 2022-23 में 12 नग बोर होल्स का प्रस्ताव था। परन्तु अन्वेषण का कार्य बिलकुल ही नहीं किया गया। 2. नियमानुसार खदान की सीमा पर खम्भो (बाउंड्री पिलर) का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है। 3. खदान में प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।
नियम 14(2)	खनिजों के ग्रेसहोल्ड मूल्यों में निर्दिष्ट सीमा से ऊपर या अन्यथा खनिज या अयस्क स्टॉक को ढेर की गई ऐसी सभी सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता को इंगित करते हुए उचित रूप से बनाए रखा जाएगा, और ऐसी सामग्रियों की मासिक सूची अद्यतन की जाएगी: निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ऐसी सामग्री की माहवार सूची नहीं बनाई गई है।
नियम 31 (4)	इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित योजनाओं और खंडों (Plan & Section) को नियम 55 के उपनियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट 'अ' श्रेणी की खानों के मामले में तीन महीने के भीतर और किसी अन्य खदान के मामले में बारह महीने भीतर अद्यतन जाएगा। खान स्थल कार्यालय में योजनाएं और खंडों (Plan & Section) अद्यतन और अनुरक्षित नहीं पाए गए।

नियम 34ए(2)	<p>34 ए. खनन पट्टा क्षेत्र की डिजिटल एरियल इमेज.—(1) प्रत्येक पट्टेदार के पास—(ए) किसी विशेष वर्ष में एक मिलियन टन या उससे अधिक की वार्षिक उत्खनन योजना; या</p> <p>(बी) पचास हेक्टेयर या अधिक का पट्टा क्षेत्र,</p> <p>हर साल अप्रैल या मई के महीने में पट्टे की सीमा के बाहर और पट्टे की सीमा के बाहर सौ मीटर तक ड्रोन सर्वेक्षण करेगा और इस तरह के सर्वेक्षण या किसी अन्य से प्राप्त संसाधित आउटपुट [डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) और ऑर्थोमोसिक] चित्र प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले दिन या उससे पहले महानियंत्रक को इस संबंध में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।</p> <p>(2) प्रत्येक पट्टेदार, उप-नियम (1) के अंतर्गत आने वाले के अलावा, अप्रैल के महीने में लिए गए पट्टे के क्षेत्र और पट्टे की सीमा के बाहर सौ मीटर तक के उच्च विभेदन भू-संदर्भित ऑर्थो-रेक्टिफाइड मल्टीस्पेक्ट्रल उपग्रह चित्रों की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वर्ष के जून तक, उस वर्ष के जुलाई के पहले दिन या उससे पहले महानियंत्रक को जियो टीआईएफएफ जैसे मानक प्रारूपों में मेटाडेटा या किसी अन्य प्रारूप के साथ भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है:</p> <p>आपने एम सी डी आर 2017 के नियम 34ए (2) के तहत भारतीय खान ब्यूरो द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिये डिजिटल सैटेलाइट चित्र जमा नहीं किया गया है।</p>
45(7)	<p>यदि यह पाया जाता है कि खनन पट्टा धारक या खनिजों के व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या निर्यात में संलग्न किसी भी व्यक्ति या कंपनी ने, यथास्थिति, दैनिक या मासिक या वार्षिक विवरणी में अधूरी या गलत या मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है या निर्धारित तिथि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; तो, -</p> <p>(क) खनन पट्टा धारक द्वारा खनिजों के खनन के मामले में खान के क्षेत्रीय नियंत्रक राज्य सरकार को सलाह दे सकते हैं कि तब-</p> <p>(i) खान में सभी खनन कार्रवाइयों के लिए निलंबन का आदेश दें और केवल उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद निलंबन के आदेश को रद्द करे;</p> <p>(ii) इन नियमों के अंतर्गत अभियोजन चलाने के लिए कार्रवाई आरंभ करे;</p> <p>(iii) अवैध खनन की मनोनुकलता या बढ़ावा देने की ओर संकेत करने वाली ऐसी किसी सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने के मामले में खनन पट्टे समाप्त करने की सिफारिश करना;</p> <p>वार्षिक विवरणी की जांच पर निम्नलिखित त्रुटिया पायी गई है:-</p> <p>1. वार्षिक विवरणी के भाग 5 में अन्वेषण का कार्य बिलकुल नहीं दर्शाया गया है। जबकि भाग 7 में अन्वेषण की लागत रु 1529.15 प्रति टन दर्शायी गयी है, जो कि सही नहीं है।</p> <p>2. वार्षिक विवरणी के भाग 3 में दर्शायी गयी ओवर हेड लागत तथा भाग 7 में दर्शाई गयी लागत आपस में मेल नहीं खाती है।</p> <p>3. रॉयल्टी तथा डेड रेंट दोनो को उत्पादन लागत (भाग 7) में सामिल किया गया है। जबकि नियमानुसार दोनो लागत खदान में एक साथ देय नहीं है। साथ ही प्रति टन दर्शायी गयी रॉयल्टी को भी सही करने की आवश्यकता है।</p> <p>4. भाग 5 मद संख्या 2:- खनिज संचय की अद्यतन स्थिति दर्शाने में गतवर्ष किये गये उत्पादन को गणना में नहीं लिया गया है।</p>
नियम 55(1)	<p>भूवैज्ञानिकों और खनन अभियंताओं के रोजगार - (1) इन नियमों के अनुसार गवेषण, पूर्वेषण या खनन कार्य के प्रयोजन के लिए,</p> <p>(क) प्रत्येक गवेषण परमिट धारक एक पूर्णकालिक भूविज्ञानी को नियुक्त करेगा;</p> <p>(ख) प्रत्येक पूर्वेषण अनुज्ञापित या पूर्वेषण अनुज्ञापित -सह- खनन पट्टा एक पूर्णकालिक भूविज्ञानी और एक अंशकालिक खनन इंजीनियर को नियुक्त करेगा;</p> <p>(ग) प्रत्येक खनन पट्टा धारक, निम्न मामले में इन्हें नियुक्त करेगा -</p> <p>(i) श्रेणी 'क' की खानों में, एक पूर्णकालिक खनन इंजीनियर और एक भूविज्ञानी;</p> <p>(ii) श्रेणी 'ख' की खानों में, एक अंशकालिक खनन इंजीनियर और एक अंशकालिक भूविज्ञानी;</p> <p>परंतु यह कि पूरी तरह मशीनीकृत 'क' श्रेणी की खानों के मामले में खनन इंजीनियरों और भूवैज्ञानिकों के पास खनन के क्षेत्र में एक पर्यवेक्षी क्षमता में काम करने का कम से कम पाँच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए:</p> <p>खान में भूविज्ञानी की नियुक्ति नहीं हुई है।</p>

I/14520/2023

02. इस संबंध में यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन एम सी डी आर -2017 के नियम 62 के तहत दंडनीय अपराध है।
03. एम सी डी आर -2017 के नियम 11(1) का पालन न करने पर एम सी डी आर -2017 के नियम 11(2) के प्रावधानों के तहत खनन संक्रिया को निलंबित किया जा सकता है।
04. आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों को तुरंत सुधारे और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय,

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि प्रेषित (ईमेल) :

01. संचालक, भौमिकी एवम खनिकर्म, मध्य प्रदेश सरकार, खनिज भवन, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु.
02. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
03. जिलाधीश, जिला - बालाघाट (म.प्र.) सूचनार्थ ।

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो